

5

भाग-1
एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना का नाम जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी में राज्य योजना के अन्तर्गत टिहरी चम्बा मोटर मार्ग के कन्या जूनियर हाई स्कूल चवालखेत होकर बुडोगी गांव तक मिसिंग लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य लम्बाई 2.8750 कि० मी०।

क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी में राज्य योजना के अन्तर्गत टिहरी चम्बा मोटर मार्ग के कन्या जूनियर हाई स्कूल चवालखेत होकर बुडोगी गांव तक मिसिंग लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।
ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	संलग्न है।
ग) परियोजना की लागत।	रु० 162.00 लाख
घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	वनक्षेत्र में प्रस्तावित संरक्षण के अतिरिक्त अन्य विकल्प न होने के कारण।
ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने लिए)	लागू नहीं।
च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	
2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण	आरक्षित वनभूमि 0.7875 हे०। नाप भूमि 1.80 हे०। कुल हस्तान्तरित की जाने वाली भूमि- 0.7875 है।
3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है	परियोजना के कारण लोगों को हटाने की आवश्यकता नहीं है।
क) परिवारों की संख्या	- शून्य-
ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	- शून्य--
ग) पुनर्वास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	- शून्य--
4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हां/नहीं)	- नहीं।
5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाये)	स्वीकार्य प्रमाण पत्र संलग्न। बचनबद्धता संलग्न।
6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा।	पृष्ठ संख्या- 3 पर संलग्न विशयक सूची के अनुसार सभी प्रमाण पत्र संलग्न।

दिनांक... 16/06/21 स्थान चम्बा।

अपर सहायक / कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
चम्बा, टि० ग०।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
चम्बा, टि० ग०।

अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
चम्बा, टि० ग०।

INDEX

क्र०सं०	प्रपत्र	प्रारूप संख्या (एस०ओ०पी० के अनुसार)	पृष्ठ संख्या	
			से	तक
--	मुख पृष्ठ	---	01	
--	विषय सूची	---		
1.1	ऑन-लाईन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु नामित अधिकारी/कर्मचारी का प्रमाण पत्र।	1	02	
2.44	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-1	2	05	X
2.45	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-2	3	06	07
2.46	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-3	4	08	X
2.2	परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।	5	09	19
2.3	संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट। (प्रयोक्ता एजेन्सी तथा वन विभाग एवं राजस्व विभाग के साथ)।	6	20	20
2.47	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट	7	28	
1.2	सर्वे ऑफ इण्डिया टोपोशीट मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण वन क्षेत्र को दर्शाया गया हो।	8	44	
1.3	मैप जिसमें टोपोशीट पर प्रस्तावित क्षेत्र को जी०पी०एस० के साथ दिखाया गया हो।	9	30	31
1.4	गूगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण अंकित हो तथा वैकल्पिक समरेखण एवं प्रस्तावित भूमि को पूर्ण रूप से दर्शाया गया हो।(kml file)	10	32	33
1.5	प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि के मांग का पूर्ण औचित्य को दर्शाते हुए एक विस्तृत आख्या।	प्रतिवेदन	35	36
2.1	प्रस्ताव के बारे में विवरण एवं प्रस्ताव की औचित्य एवं आवश्यकता	11	34	
2.4	वैकल्पिक संरेखणों को मानचित्र पर प्रदर्शित कर उनके निरस्त किये जाने का औचित्य एवं कारण।	12,13	37	40
2.5	जिलाधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र।	14	41	
2.6	प्रभावित वन भूमि का लैण्ड शैड्यूल	15	42	44
2.7	परियोजना की लम्बाई चौड़ाई तथा कुल क्षेत्र हे० में भूमि विभिन्न वर्गवार आरक्षित, निजी वन, वन पंचायत, निजी भूमि, आदि।	16	45	
2.8	परियोजना का भूमि उपयोग का बार-चार्ट।	17	46	
2.27	कार्य आरम्भ न किये जाने का प्रमाण-पत्र।	18	47	
2.15	परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची एवं उनके वैज्ञानिक नाम। (सूची आरक्षित वन क्षेत्र, सिविल, वन पंचायत, एवं निजी भूमि दोनों अलग-अलग बनायी जानी होगी)।	19	48	52
-	परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों का मूल्यांकन	20	52	55
-	परियोजना क्षेत्र में विद्यमान वृक्षों में से वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण	21	56	
2.16	बांज प्रजाति के वृक्षों के पातन हेतु वन संरक्षक की संस्तुति का प्रमाण-पत्र।	22	57	
2.17	अगर वृक्षों का पातन नहीं होना है तो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र।	23		
2.18	न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण-पत्र।	24	96	
2.20	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य सम्बन्धी प्रमाण-पत्र।	25	58	X
2.21	यदि प्रस्तावित परियोजना किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य के 10 किमी० की परिधि में आता है तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण-पत्र	26	59	



2.22	यदि प्रस्तावित परियोजना किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य के अन्तर्गत आता है तो ऐसे प्रकरणों में राज्य वन्य जीव सलाहकार बोर्ड, भारतीय वन्य जीव परिषद एवं मा0 उच्चतम न्यायालय की अनुमति ।	27	155	
2.24	आम-सभा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र।	28	60	64
1.11	विस्तृत लागत-लाभ विश्लेषण प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)।	29	65	66
1.6	जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त वन अधिकार अधिनियम, 2006 का प्रमाण-पत्र मय संलग्नकों के (नये प्रारूप में)।	30	67	74
2.28	भू-वैज्ञानिक की आख्या।	33	75	77
2.31	टास्क-फोर्स एवं भू-वैज्ञानिक की शर्तों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र।	34	78	
2.29	टास्क-फोर्स रिपोर्ट।	35	79	
2.30	मानक शर्तों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र।	36	80	
2.32	धार्मिक/पौराणिक/एतिहासिक महत्व का स्थल न होने का प्रमाण-पत्र।	37	82	
2.33	वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुंचाये जाने का प्रमाण-पत्र।	38	83	
2.34	परियोजना के निर्माण में प्रयुक्त मिट्टी का तैल एवं रसोई गैस का प्रमाण-पत्र।	39	84	
2.35	लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र	40	99	
2.38	वन भूमि के लीज रेंट का प्रमाण-पत्र।	41	85	
2.9	क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना सिविल भूमि पर (10 वर्षीय दरों पर)।	42	89	X
2.10	क्षतिपूरक वृक्षारोपण वन स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र। (प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा)।	43	81	
2.11	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण को वहन किये जाने का प्रमाण-पत्र। (प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित)।	---		Y
1.7	प्रस्तावित परियोजना का 1:50,000 के पैमाने का मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थान को दर्शाया गया हो तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।	44		X
1.8	रंगीन गूगल मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।	45		Y
2.12	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण का प्राक्कलन।	46		
2.13	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण की धनराशि वहन किये जाने का प्रमाण-पत्र।	---	90	Y
2.14	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त 100 वृक्षों के वृक्षारोपण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र। (1 हे0 से कम में लागू)।	लागू नहीं		X
1.9	यदि प्रस्तावित कार्य हेतु गैर वन भूमि अथवा राजस्व वन भूमि की आवश्यकता हो तो भूमि धर का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं भूमिधरों का भूमिधर होने का प्रमाण-पत्र।	47	91	X
1.10	भूमिधर एवं प्रयोक्ता एजेन्सी के बीच हुए करार (PDF).	48	92	94
2.19	परियोजना के निर्माण से उत्पादित मलवा निस्तारण की योजना।	49	95, 101	152
2.36	एन0पी0वी0 की देयता का प्रमाण-पत्र।	50	152	X
2.37	मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि की देयता का प्रमाण-पत्र।	51	154	
2.40	आर0सी0सी0 पिलरों के सीमांकन का प्राक्कलन	52	98	
2.41	आर0सी0सी0 पिलरों के व्यय को वहन करने हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र	---	100	
2.39	लीज अवधि का प्रमाण-पत्र।	53		Y
2.23	वन संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन न होने का प्रमाण-पत्र।	54	97	
2.25	प्रस्तावित परियोजना का ले-आउट प्लान एवं प्रांकलन तथा सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित तथा मय नाम एवं पद के साथ।	लागू नहीं	---	X
2.26	अवयव के अनुसार Component wise निर्माणाधीन कार्यों का विवरण। (यदि लागू हो तो)।	---		Y
2.42	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु गैर भूमि उपलब्ध न होने का मुख्या सचिव द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र। (अगर लागू हो)।	---		X
2.43	चैक लिस्ट/फैक्ट शीट/अन्य विवरण	---		X

18/10/21

3

ऑन-लाईन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु नामित अधिकारी/कर्मचारी का प्रमाण पत्र।

Mr. NARAYAN SINGH KHOLIYA Executive Engineer son of Shri HIMMAT SINGH is hereby authorised to upload the Land Transfer Proposal regarding Chamba Section of the Construction Division PWD Chamba (T.G) (agency name) on the Government of India portal www.forestclearance.nic.in on behalf of the Executive Engineer, Construction Division, P.W.D. Chamba (T.G).


Executive Engineer
Construction Division, P.W.D. Chamba (T.G)


कार्यालय

"जसा खण्ड वन-सर्वे आपके संग"

मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन, आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण।
वन भवन, 85/87, राजपुर रोड, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक- 253 / 12-1-2 (जी.आई.एस) देहरादून, दिनांक: 18 अगस्त, 2020

सेवा में,

अधिशारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0बि0वि0
चम्बा (टिहरी गढ़वाल)।

विषय :- जनपद टिहरी गढ़वाल विधानसभा टिहरी में राज्य योजना के अन्तर्गत टिहरी चम्बा मोटर मार्ग के साबलीखाल से कन्या जूनियर हाई स्कूल चवालखेत होकर बुडोगी गांव तक मिसिंग लिंक का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण) एवं सुरसिंगधार बटखेम लामकोट केमवालगांव भोणाबागी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

सन्दर्भ :- आपका कार्यालय पत्रांक 1567/13 एम0जी0 दिनांक 07-08-2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में जनपद टिहरी गढ़वाल विधानसभा टिहरी में राज्य योजना के अन्तर्गत टिहरी चम्बा मोटर मार्ग के साबलीखाल से कन्या जूनियर हाई स्कूल चवालखेत होकर बुडोगी गांव तक मिसिंग लिंक का नव निर्माण कार्य हेतु मानचित्र को तैयार कर सी0डी0/ई-मेल के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है।

सुरसिंगधार बटखेम लामकोट केमवालगांव भोणाबागी एवं साबलीखाल से कन्या जूनियर हाई स्कूल चवालखेत होकर बुडोगी गांव तक मिसिंग लिंक मोटर मार्ग की राजाजी टाइगर रिजर्व की निकटतम सीमा से हवाई दूरी क्रमशः 22.3 कि0मी0, 24.8 कि0मी0 GIS तकनीकी द्वारा आपके माध्यम से दी गई KML file से सन्निकट आंकलित की गई है।

संलग्नक:- सी0डी0।

AET/वनसंरक्षक

उप वन संरक्षक

21/8/2020

21/8/2020

भवदीय,

उप वन संरक्षक,

अनुश्रवण, मूल्यांकन, आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण
उत्तराखण्ड, देहरादून।

AET

AET

अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0बि0वि0
चम्बा, टिहरी गढ़वाल

